

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

अति-आवश्यक

अलर्ट नोटिस

क्रमांक:- डीसी/डी-2/एम0पी0-190/2012/


दिनांक:-

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान

विषय:- औषधि Prednisolone Tablets I.P 10 mg (PESOLEN-10) Batch No. 2109, D/M-12/11, D/E-5/13 Mfgd. by. M/s Numech Healthcare, 602/3/2, Jamburdi, Hapsi, Indore Drug reported to be "Not of Standard Quality" बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री हरीओम मेहता, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय झालावाड द्वारा औषधि Prednisolone Tablets I.P 10 mg (PESOLEN-10) Batch No. 2109, D/M-12/11, D/E-5/13 निर्माता Mfgd. by. M/s Numech Healthcare, 602/3/2, Jamburdi, Hapsi, Indore का नमूना जाँच हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत लिया गया था, जो राजकीय विश्लेषक, डी.टी.एल. जयपुर की जाँच रिपोर्ट संख्या No. 500/2012-2013/DTL/2012 dt. 23.07.2012 के अनुसार निम्न कारणों से अवमानक कोटि का घोषित किया गया है - "The Sample does not conform to the claim with respect to Assay and Dissolution"(Content 12.1% of the claim)

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त फर्म के नाम से निर्मित औषधियों के नमूने व्यापकतौर पर लेकर जाँच करावे ताकि गुणवत्ता की सुनिश्चितता हो सकें ।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के विभिन्न प्रावधानों का यदि उल्लंघन पाया जावे तो उपलब्ध स्टॉक को फ्रीज करें तथा कि नई कार्यवाही से सूचित करें ।


औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांक:- डीसी/डी-2/एम0पी0-190/2012/ 348
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

दिनांक:- 07.08.2012

1. औषधि महानियंत्रक (भारत) एफ.डी.ए. भवन, सी.एच.ई.बी. केम्पस कोटला रोड नई दिल्ली ।
2. उप औषधि नियंत्रक, (भारत) सी.डी.एस.सी.ओ (नोर्थ जोन) कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद(यू.पी.)
3. निजी सचिव, मा0 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0 सी0 एल0 निदेशालय मुख्यालय ।
5. मिशन डायरेक्टर (NRHM) मुख्यालय ।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर ।
7. निदेशक (जन0स्वा0, प0क0, एड्स, एम0एस0यू, ई0एस0 आई), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर
9. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
12. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in/Drug Control
13. रक्षित पत्रावली


औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर